



2026: AHC : 53991

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7187 वर्ष 2026

भानमती

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मयंक कृष्ण सिंह चंदेल, विनोद कुमार चंदेल

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता), रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी इस आदेश से व्यथित महसूस करता/करती है, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रतिवादी संख्या 2/अपर आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के तहत निगरानी (रिवीजन)/अपील कंप्यूटरीकृत वाद संख्या C20215000000530, भानमती बनाम बाल चंद एवं अन्य, को शीघ्रता से तय करने का निर्देश देने की है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. मामला विचारण न्यायालय के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय पहले ही बीत चुका है लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रतिवादी संख्या 2/अपर आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को निर्देशित करते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से कानून के अनुसार सख्ती से और शीघ्रता से उक्त निगरानी/अपील को तय करें, तथा जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दें।

16 मार्च, 2026

सुषमा

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।